

अनुबंध-I
(पैरा सं. 2.1.2 के संदर्भ में)
निर्माण कार्यों के ब्यौरे/स्थिति

क्र.सं.	परियोजना के शीर्षक	परियोजनाओं/निर्माण-कार्यों की सं.	आरंभिक अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)	निम्न के अंतर्गत आबंटित निधि	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	वर्तमान स्थिति
1.	यूटी प्रशासन के डॉल्फीन रिसोर्ट का रंग-रोगन	1	6.50	सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	14.81*	कार्य प्रगति पर
2.	प्रत्येक में 20 आलीशान कॉटेज के साथ दो कैम्पस (राधानगर एवं डॉल्फीन)	2	1.00	-वही-	(i) 8.87 (ii)*	i.- राधानगर के कार्य को नामांकन के आधार पर एएनएफबीडीसीएल, एक पीएसयू, को सौंपा गया था, जिसे ₹8.87 करोड़ जारी किया गया था। परियोजना छोड़ दी गयी। ii.- डॉल्फीन कार्य को दिसंबर 2015 में पूरा किया गया था। *रंगरोगन पर व्यय (क्रम सं. 1) एवं डॉल्फीन में 20 आलीशान कॉटेजों को निर्माण (क्रम सं. 2) के कार्य को एक ही ठेकेदार को सौंपा गया था और इसलिए अंतिम बिल तक उसका पृथक्करण नहीं हुआ।
3.	35 कमरे का आलीशान बोट	1	15.00	-वही-	0.39 (निविदा/आरएफपी)	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।

4.	दो 15 यात्री मैकेनाइज्ड आलीशान बोट	2	4.00	-वही-	एवं परामर्श के प्रति)	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।
5.	उत्तरी खाड़ी में 50 इकाई मेरीन	1	7.50	-वही-		शुरू नहीं किया गया यद्यपि अनुबंध जुलाई 2012 में हुआ था।
6.	केनोपी वाकवे (चिडियाटापू एवं माउंट हैरियट)	2*	2.00	-वही-	5.62 (अभी अदा किए गए ₹1.29 करोड़ को शामिल करते हुए)	i.-माउंट हैरियट कार्य छोड़ा गया। ii.-चिडियाटापू कार्य अप्रैल 2012 से रुका हुआ है।
7.	इंटरप्रिटेशन केन्द्र	1	2.00	-वही-	2.25	पूरा हुआ
8.	रॉस द्वीप में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	1	3.00	-वही-	4.42	पूरा हुआ
9.	डिकंप्रेशन चैंबर	1	0.50	-वही-	0.8	दिसंबर 2011 में संस्थापित परंतु उपयोग में नहीं लाया गया।
10.	साइंस सेंटर, पोर्ट ब्लेयर में ऐस्ट्रो पार्क के साथ 12 मीटर के अल्युमिनियम पर फोरेटेड डोम हाइब्रिड प्लेनेटोरियम प्रणाली स्थापना	1	0.50	-वही-	शून्य	शुरू नहीं हुआ।
11.	हाऊस बोट का प्रापण एवं अनुरक्षण	1	0.05	यू.टी. योजना	शून्य	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।
12.	जलीय खेल की स्थापना (सबमैरीन का प्रापण)	1	0.05	-वही-	शून्य	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।
13.	विभिन्न पर्यटन	1	0.25	-वही-	शून्य	शुरू नहीं हुआ।

	परियोजनाओं हेतु सलाहकार की नियुक्ति					
14.	एमवी रामानुजम का आकस्मिक भुगतान	1	0.10	-वही-	4.57 (₹3.34 करोड़ की देयता के साथ)	मार्च 2011 में बेसल की खरीद हुई परंतु पर्यटन निदेशालय को स्वामित्व नवंबर 2014 में जाकर दिया गया। अभी उपयोग नहीं हुआ।
15.	सेलुलर जेल में ध्वनि एवं लाइट प्रदर्शन की मरम्मत	1	0.65	-वही-	1.7	पूर्ण हुआ। आंशिक रूप से चालू किया गया।
16.	पोर्ट ब्लेयर में संगीतमय फव्वारे की स्थापना	1	0.01	-वही-	शून्य	शुरू नहीं हुआ।
17.	दक्षिण अण्डमान में पर्यावरण पर्यटन के विकास हेतु संस्थागत निधीयन	1	0.15	-वही-	शून्य	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।
18.	दक्षिण अण्डमान में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर शौचालय, बाहर बैठना, पेयजल सुविधाओं जैसी मूल आवश्यकताएं प्रदान करना	1	0.10	-वही-	शून्य	शुरू नहीं हुआ।
19.	उत्तर एवं मध्य अण्डमान में पर्यावरण पर्यटन के विकास हेतु संस्थागत निधीयन	1	0.15	-वही-	शून्य	व्यवहार्य नहीं पाया गया। छोड़ा गया।

20.	उत्तर एवं मध्य अण्डमान में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शौचालय, बाहर बैठना, पेयजल सुविधाओं जैसी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करना	1	0.10	-वही-	शून्य	शुरू नहीं हुआ।
21.	वाईपर द्वीप का विकास	1	0.15	-वही-	शून्य	छोड़ा गया।
22.	XII योजना में समेकित पर्यटन सर्किट	1	0.20	पर्यटन मंत्रालय	शून्य	शुरू नहीं हुआ।
23.	पर्यटन सर्किट बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर-नील-हेवलॉक- बाराटांग का विकास	1	5.00	-वही-	0.18	शुरू नहीं हुआ।
	निर्माण कार्यों की कुल संख्या	26				

अनुबंध-II

(पैरा सं. 2.7.2.1 के संदर्भ में)

डी एवं एनएच पंचायत विनियमन, 2012 की धारा 121 के अनुसार डी एवं एनएच यूटी प्रशासन द्वारा तैयार नियमावली के विवरण

क्र.सं.	नियमावली का नाम	अधिसूचना की तिथि
1.	जिला पंचायत, डी एवं एनएच समिति नियमावली, 2014	28 जनवरी 2015
2.	ग्राम पंचायत के उप-सरपंच तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के डी एवं एनएच चुनाव नियमावली 2014	27 जनवरी 2015
3.	डी एवं एनएच की जिला पंचायत (बैठक) नियमावली, 2014	27 जनवरी 2015
4.	डी एवं एनएच पंचायत अविश्वास प्रस्ताव नियमावली (जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उप-अध्यक्ष के विरुद्ध) 2014	27 जनवरी 2015
5.	दादरा एवं नागर हवेली पंचायत सदस्य (खराब होने के कारण अयोग्यता) नियमावली, 2014	27 जनवरी 2015
6.	डी. एवं एन.एच. पंचायत (चुनाव प्रक्रिया) नियमावली, 2014	29 अप्रैल 2015

अनुबंध-III

(पैरा सं. 2.7.2.2 के संदर्भ में)

डी एवं एनएच को दिए गए कार्यों का हस्तांतरण

क्र.सं.	विषय	क्या डीपी/वीपी का हस्तांतरित किए गए (हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं हुए/आंशिक रूप से हस्तांतरित)	क्या निधियां प्राप्त हुई (हाँ/नहीं)	यदि हाँ, तो संबद्ध शाखा का नाम
1.	कृषीय विस्तार समेत कृषि	आंशिक रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि समेकन एवं मृदा संरक्षण का कार्यान्वयन	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	उप-प्रभागीय मृदा संरक्षण विभाग (एसडीएससीओ)
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजन विकास	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	पीडब्ल्यूडी-III (डीपी)
4.	पशु पालन, दुग्ध एवं मुर्गीपालन	आंशिक रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
5.	मत्स्य पालन	नहीं	नहीं	--
6.	सामाजिक वानिकी एवं खेत वानिकी	नहीं	नहीं	--
7.	लघु वन उत्पादन	नहीं	नहीं	--
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत लघु उद्योग	नहीं	नहीं	--
9.	खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग	परामर्शी भूमिका	नहीं	--
10.	ग्रामीण आवास	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	अन्य ग्रामीण विकास विभाग
11.	पेयजल (ग्रामीण)	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	पीडब्ल्यूडी-III (डीपी)
12.	ईंधन एवं चारा	नहीं	नहीं	--
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य माध्यम	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	पीडब्ल्यूडी-III (डीपी)
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली का समेत संवितरण	आंशिक रूप से हस्तांतरित	हाँ	पीडब्ल्यूडी-III (डीपी)
15.	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	अन्य ग्रामीण विकास विभाग
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	अन्य ग्रामीण विकास विभाग
17.	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों समेत शिक्षा	केवल प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से हस्तांतरित (छात्र I से छात्र VIII)	हाँ	प्राथमिक शिक्षा

		तक)		
18.	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	परामर्शी भूमिका	नहीं	--
19.	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	नहीं	--
20.	पुस्तकालय	नहीं	नहीं	--
21.	सांस्कृतिक गतिविधियां	नहीं	नहीं	--
22.	बाज़ार एवं मेले	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
23.	अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी समेत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	आंशिक रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
24.	परिवार कल्याण	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
25.	महिला एवं बाल विकास	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	हाँ	बाल विकास एवं परियोजना कार्यालय
26.	विकलांग तथा मानसिक रूप से कमजोर के कल्याण समेत सामाजिक विकास	आंशिक रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
27.	कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	नहीं	--
28.	सार्वजनिक संवितरण प्रणाली	नहीं	नहीं	--
29.	समुदाय परिसंपत्तियों का रखरखाव	पूर्ण रूप से हस्तांतरित	नहीं	--

(स्रोत: डीपी सिलवासा द्वारा प्रस्तुत सूचना)